
इकाई 4 नीतियाँ और विनियम

इकाई की रूपरेखा

- 4.1 उद्देश्य
- 4.2 प्रस्तावना
- 4.3 भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली और संस्थागत संरचना
- 4.4 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु (नीतियाँ और विनियम) दिशा निर्देश
- 4.5 विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी/दायित्व
- 4.6 सारांश
- 4.7 मुख्य शब्द
- 4.8 संदर्भ पुस्तकें
- 4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.1 उद्देश्य

इस इकाई का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित बिन्दुओं को समझना है :

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की प्रणाली और संस्थागत संरचना को समझना;
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नियम एवं दिशा-निर्देशों को समझना; और
- विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी और उसके लाभ।

4.2 प्रस्तावना

पूर्वोत्तर में कम जनसंख्या एवं अधिक भूमि होने से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन महत्वपूर्ण समस्या नहीं था। परन्तु वर्तमान में तेजी से बढ़ते औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास, बढ़ते जनसंख्या घनत्व और अनियोजित विकास प्रक्रियाओं और इनका आपस में सामंजस्य न होने के कारण, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट में अवक्रमित (कागज, वस्त्र, खाद्य अपशिष्ट, कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट एवं कपड़ा उद्योग द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट), आंशिक रूप से अवक्रमित (डिस्पोजेबल नेपकिन्स, सेनेट्री अपशिष्ट आदि) एवं गैर अवक्रमित (धातु, प्लास्टिक अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट आदि) शामिल हैं। पारिस्थितिक तंत्र की सुचारु व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होना, प्रकृति की क्षमता से अधिक उसके संसाधनों का दोहन होना तथा अपशिष्ट (मुख्यतः प्लास्टिक) की रासायनिक एवं भौतिक गुणों के कारण उसका पुनः पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित न होना ठोस अपशिष्ट प्रदूषण होने के मुख्य कारण हैं।

तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि, भूमि की अनुपलब्धता, नगरपालिका एवं औद्योगिक अपशिष्ट में विविधता आदि कारण नगर पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए चिंताजनक समस्या उत्पन्न कर रही हैं। इसके अलावा अपशिष्ट का


सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर रूप में निस्तारण पर्यावरण तथा आसपास के स्थानों के सौंदर्य को बनाए रखना, आदि अन्य मुख्य चुनौतियाँ हैं।

इसके लिए भारत सरकार द्वारा नियम, नीतियाँ एवं कानून बनाए गए हैं तथा प्रत्येक राज्य एवं वर्ग में कार्यरत विभाग एवं कर्मचारियों को अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। इसके अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट निस्तारण की विधियाँ भी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई हैं। प्रस्तुत पाठ में हम इन्हीं सब प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के नियम एवं नीतियों के बारे में समझेंगे।

4.3 भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली एवं संस्थागत संरचना

भारत पहला देश है जिसने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए संवैधानिक प्रावधान प्रदान किये हैं। भारतीय संविधान सभी नागरिकों और अन्य जीव-जन्तुओं के लिए सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण के रखरखाव के संबंध में शक्तियों और कार्यों का एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है। इसमें कई अनुच्छेदों में नगरपालिका एवं अन्य निकायों की शक्तियाँ एवं जिम्मेदारियाँ सुनिश्चित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 51-ए में पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि “भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वन, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और सुधार करे एवं जीव पर दया करे”।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देश में पर्यावरण संबंधी सभी मामलों को सम्बोधित करती है। यह मंत्रालय भारत की परिवर्तन और वानिकी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना, प्रचार, समन्वय और देखरेख के लिए केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक ढांचे में नोडल एजेंसी है। यह पर्यावरण जागरूकता, अनुसंधान और सतत



चित्र 4.1 : भारत में प्लास्टिक (ठोस) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली : संस्थागत संरचना

विकास के लिए पहल और आधुनिक तकनीकों को जो पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाए को प्रोत्साहित करती है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु दिशा-निर्देश बनाता है तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) एवं प्रदूषण नियंत्रण नीतियाँ (पीसीसी) को तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। सीपीसीबी देश की प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च संगठन है। इन सभी संगठनों के अपने अधिकार, भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ हैं। भारत में ठोस (प्लास्टिक) अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत रूपरेखा निम्न दर्शित चित्र में समझाई गई है।

4.4 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नीतियाँ, विनियम और दिशा-निर्देश

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जो भोपाल गैस त्रासदी को मद्देनजर रखकर बनाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के निर्णयों को लागू करना है। यह मानव, जीव-जन्तुओं और पर्यावरण पर होने वाले खतरे की रोकथाम से संबंधित है। यह अधिनियम एक "छाता" कानून है जिसमें अब सभी पिछले अधिनियम (जल एवं वायु) और कई अन्य विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित अधिनियम शामिल हैं। जैसे—

- पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना (2006)
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2015)
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम (2018)

4.4.1 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) (संशोधन) नियम (2018)

भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2011 में प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) के नियम प्रकाशित किये थे जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है।

वर्तमान के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम वर्ष 2016 के नियमों का संशोधन है। यह नियम पूरे देश में प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, शहरी, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, विनिर्माता और उत्पादक पर लागू होता है। यह नियम निर्यातोन्मुख इकाई और विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों पर लागू नहीं होते।

पीडब्ल्यूएम नियम, 2016 की मुख्य विशेषताएँ

- नवीन या पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए।
- मोटाई का प्रावधान कमपोस्टेबल प्लास्टिक पर लागू नहीं होता है जो आईएसओ 17008 का अनुपालन कर रहे हैं।
- पुनर्नवीनीकरण द्वारा निर्मित किये गये प्लास्टिक का उपयोग भोजन एवं खाद्य पदार्थों को पैक करने व संरक्षित करने के कार्य में नहीं किया जा सकता।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

- केवल पंजीकृत दुकानदार ही स्थानीय निकायों में संबंधित प्रबंधन शुल्क जमा कराकर ग्राहकों को प्लास्टिक के कैंरी बैग दे सकते हैं।
- प्लास्टिक अपशिष्ट जो कि पुनर्नवीनीकृत हो सकता है, रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट पुनःचक्रक द्वारा भारतीय मानक 14534 : 1998 "प्लास्टिक के पुनःप्रक्रमण के मार्गदर्शी सिद्धान्त" के द्वारा करे।
- थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय.समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों द्वारा किया जाएगा।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) 2018 में सभी निर्धारित स्तर पर जिम्मेदारियों और अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित है :

क्र.सं.	निर्धारित प्राधिकारी	दायित्व
1.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समिति	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) 2018 से संबंधित के प्रावधान को लागू करना तथा संबंधित पंजीकरण करना, उत्पादों का निर्माण, बहुस्तरीय पैकेजिंग, प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निष्पादन।
2.	स्थानीय निकाय	<ul style="list-style-type: none"> ● प्लास्टिक अपशिष्ट का पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन की अवसंरचना को विकसित करना। ● अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, प्रचालन और समन्वय के लिए सहयोजित कार्यों का निर्वहन करना। ● पूरी प्रक्रिया में पर्यावरण को कोई हानि न हो यह सुनिश्चित करना। ● केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शकों का सही रूप में लागू होना—यह सुनिश्चित करना एवं उसे सुगम्य बनाना।
3.	ग्राम पंचायत	सभी पदाधिकारियों में उनके दायित्वों के प्रति जागरूकता एवं जवाबदेहिता उत्पन्न करना।
4.	अपशिष्ट जनक	<ul style="list-style-type: none"> ● प्लास्टिक अपशिष्ट कम उत्पन्न करना। ● अपशिष्ट का पृथक्करण स्रोत पर ही किया जाए, पंजीकृत संस्थाओं द्वारा अपशिष्ट का पुनःचक्रण करना। ● प्लास्टिक अपशिष्ट का पृथक्करण एवं भण्डारण इस अधिनियम एवं म्युनिसिपल टोस अपशिष्ट प्रबंधन, 2000 नियम के अनुसार होगा।

		<ul style="list-style-type: none"> ● उपयुक्त शुल्क या प्रभार अदा करना जो अपशिष्ट संग्रहण और अन्य संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाए। ● खुले या सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों से एकल उपयोग प्लास्टिक या बहुस्तरीय पैकेजिंग में खाद्य पदार्थ से उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट का पृथक्करण एवं प्रबंधन म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 द्वारा हो।
5.	उत्पादकों, आयातकर्ता, ब्रांड स्वामी	<ul style="list-style-type: none"> ● उत्पादक स्वयं या स्थानीय निकाय के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली की रचना विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) दायित्व द्वारा करेंगे तथा इसमें शहरी विकास विभाग को भी सम्मिलित करेंगे। ● उत्पादक को अपने उत्पादों से जनित अपशिष्ट को संग्रहित करने की प्रणाली की स्थापना करना आवश्यक है। इस योजना की मंजूरी के लिए आवेदन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रस्तुत करना व स्वीकृति लेनी होगी। ● बहुपरत प्लास्टिक जो गैर-पुनर्नवीनीकृत है, जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती, उसे दो वर्षों में बंद किया जाना चाहिए। ● निर्माता अपने संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन कर स्वीकृति प्राप्त करेंगे। ● प्रत्येक निर्माता कच्चे माल के प्रदायक जिसके द्वारा कैरी बैग/बहुस्तरीय प्लास्टिक का निर्माण होगा इसका पूरा ब्यौरा, जानकारी एवं रिकॉर्ड रखेंगे।
6.	खुदरा विक्रेता और पथ विक्रेता	<ul style="list-style-type: none"> ● खुदरा या पथ विक्रेता उपभोक्ता को नियमों के अधीन ही प्लास्टिक कैरी बैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग में सामान देना है। जिन प्लास्टिक वस्तुओं पर भा.मा. 14534 : 1998 के अनुसार चिन्ह नहीं है वह प्रयोग में न ले और अगर ऐसा करते हैं तो ऐसे विक्रेताओं को जुर्माना देना होगा। ● दुकानदारों को वस्तु वितरित करने के लिए कैरी बैग का उपयोग करने के लिए स्थानीय निकाय में पंजीकरण कराना होगा।

कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक सामग्रियों और उन पर चिन्हीकरण

सभी प्लास्टिक पदार्थों का उनके रासायनिक एवं भौतिक गुणों के आधार पर विघटन एवं अवक्रमण की मात्रा अलग-अलग होती है। इस हेतु भारतीय मानकों को संदर्भित किया जाएगा।

चिन्हीकरण

“पुनर्चक्रित” प्लास्टिक पदार्थ पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भा.मा. 14534 : 1998 के पुनःप्रक्रमण के मार्गदर्शी सिद्धान्त द्वारा होगा। इसका विस्तृत विवरण इकाई एक में दिया गया है।



चित्र 4.2: प्लास्टिक के प्रकार

4.5 विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी/दायित्व (ईपीआर)

निर्माता/उत्पादक/आयतकर्ता/ब्रांड स्वामी की सामान्य जिम्मेदारी के अलावा अपशिष्ट प्रबंधन नियम (संशोधित) 2018 में विस्तारित निर्माता की जिम्मेदारी को नियम 9 में विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है।


यह पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसमें उत्पाद बनाने से लेकर उसके अंत तक की सारी जिम्मेदारी निर्माता की है। यह एक ऐसी नीति है जो उत्पाद के जीवन चक्र संबंधित सभी खर्चों को (उत्पत्ति से लेकर अंत के निस्तारण तक) सम्मिलित करती है। उत्पादकों को यह निर्देशित किया गया है वह अपशिष्ट संग्रहण एवं निस्तारण के लिए साधन और मॉडल बना कर एक प्रणाली स्थापित करें। इसके लिए वह व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से संबंधित स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य नगरीय विकास विभागों को शामिल करते हुए वितरण चैनल स्थापित करें।

स्वच्छ भारत अभियान द्वारा विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के प्रस्तुत किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं :

1. मॉडल-1

राज्य/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा “बाय बेक डिपॉजिटरी तंत्र” की स्थापना करना जिसमें प्लास्टिक पदार्थों पर एक पूर्व निर्धारित मूल्य अंकित होगा जो उपभोक्ता को उपयोग के उपरांत पुनः वापस करने पर मिलेगा। इस प्रक्रिया में निर्माता को एक रिवर्स बेंडिंग या क्रशिंग मशीन और पुनःचक्रण इकाई लगानी होगी जिससे एकत्रित अपशिष्ट पुनःचक्रित हो सके।

यह मॉडल न केवल उपभोक्ताओं को प्लास्टिक के पुनः उपयोग के लिए प्रोत्साहित करेगा अपितु खुदरा विक्रेताओं/उत्पादकों को भी पुनःचक्रण के लिए प्रोत्साहित करेगा।




चित्र 4.3: विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के लिए मॉडल 1

यह मॉडल कुछ निम्नलिखित तरीकों से लागू किया जा सकता है।

- 1) "जमा-वापसी योजना"—डिपोजिट-रिटर्न योजना : यह योजना जर्मनी एवं यूरोप में संचालित है जिसमें उपभोक्ता को वस्तु लेते समय अतिरिक्त राशि देनी होती है, जो उत्पाद की कीमत के रूप में जमा होगी। उपयोग के बाद प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पाद की वापसी पर यह राशि उसे वापस दे दी जाएगी।
- 2) 'रिवर्स वेंडिंग मशीनें': उपभोक्ता प्लास्टिक अपशिष्ट को रिवर्स वेंडिंग मशीन में ले जा सकता है, जहाँ प्लास्टिक का भार एवं आकार स्कैन होगा। तदोपरान्त जो सामान वेंडिंग मशीन में जाएगा उस के एवज में ग्राहक के एक निहित राशी का वाउचर उपलब्ध कराया जाएगा, जो वह पुनः खरीदारी के काम में ले सकता है। इन वेंडिंग मशीनों को पुनःचक्रण के प्रोत्साहन के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, होटल आदि पर लगाया एवं इस्तेमाल किया जा सकता है।
- 3) प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए एक और तरीके से उत्पादक-खुदरा व्यापारी आपसी समझौते कर सकते हैं, जिसमें उत्पादक व्यापारी से वापस किए हुए प्लास्टिक उत्पाद प्राप्त करेगा और यह बारकोड द्वारा ट्रैक किया जा सकेगा।

2. मॉडल-2


ईपीआर के लिए राष्ट्रीय ढाँचा तैयार किया जाए जिसमें उत्पादक/आयातक एवं ब्रांड मालिक केन्द्रीय स्तर पर ईपीआर कॉर्पस फंड में योगदान कर सकते हैं। उत्पादक एक राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य के रूप में एस्को खाते द्वारा यह कार्य कर सकते हैं। जमा की जाने वाली राशि का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि किस मात्रा में प्लास्टिक उत्पादक उनके द्वारा बाजार में पेश किये गए हैं। ईपीआर राष्ट्रीय ढाँचे में 3 संस्थाओं को धन उपलब्ध कराया जाएगा—शहरी स्थानीय निकाय, असेम्बलर/रिसाइकलर एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आईईसी के हेतु।



चित्र 4.4 : विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के लिए मॉडल 2

3. मॉडल-3

- उत्पादकों को उनके द्वारा बाजार में पहुँचाए गए प्लास्टिक उत्पाद की समान मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्नवीनीकरण सुनिश्चित करना होगा।
- यह वह स्वयं कर सकते हैं या किसी पंजीकृत एजेन्सी से करा सकते हैं।
- इस हेतु मान्यता प्राप्त प्रोसेसर से "प्लास्टिक क्रेडिट" जारी किया जाएगा जो यह प्रमाणित करेंगे की सही मात्रा में अपशिष्ट का पुनर्नवीनीकरण हुआ है।
- यह प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण एवं री.साइक्लिंग उद्योगों को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रोत्साहित करेगा।
- इस मॉडल में निर्माता को यह स्वतंत्रता है कि वह बाय बैंक या डिपॉजिट रिफंड योजनाओं के माध्यम से अथवा सामूहिक रूप से पंजीकृत पीआरओ के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों से इस प्रयोज्य जुड़ें।



चित्र 4.4: विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के लिए मॉडल 3

बोध प्रश्न

नोट: क) नीचे दिए गए स्थानों पर अपने उत्तर लिखें।

ख) अपने उत्तर को इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से तुलना करें।

1. भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्या संस्थागत संरचना है और उनके क्या मुख्य कार्य हैं?

.....

.....

.....

.....

2. पीडब्ल्यूएम नियम (2013) की 3 मुख्य विशेषताएँ बताइए।

.....

.....

.....

.....

3. विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी/दायित्व क्या है? इसके किसी भी एक मॉडल को समझाइए।

.....

.....

.....

.....

4.7 सारांश

- भारत में सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए संवैधानिक प्रावधान किये गए हैं।
- भारत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। देश में पर्यावरण संरक्षण, जागरूकता, अनुसंधान एवं विकास का कार्य करता है। साथ ही साथ यह पर्यावरण संरक्षण संबंधी अधिनियम, नियम, विनियमन एवं अधिसूचनाएँ जारी करता है।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत संवैधानिक संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश बनाते हैं और इस मंत्रालय को सहायता प्रदान करते हैं।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) 2018 बनाया गया है, जो प्लास्टिक पदार्थों के उत्पादन से लेकर उन के निस्तारण तक के सभी स्तरों का मार्गदर्शन करते हैं।

- भारतीय मानक ब्यूरो ने कई कोड स्थापित किए हैं जो प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल निस्तारण के लिए मार्गदर्शन देते हैं। जैसे. भारतीय मानक ब्यूरो : आई एस 14534 : 1999
- इन नियम में सभी स्तर पर दायित्व निर्धारित किए गए हैं।
- प्लास्टिक अपशिष्ट पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन की अवसंरचना स्थापित करना।
- नवीन या पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए और यह नियम कम्पोस्टेबल प्लास्टिक पर लागू नहीं होता।
- विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के द्वारा प्लास्टिक उत्पाद के निर्माण से लेकर निस्तारण की सारी जिम्मेदारी उत्पादक/निर्माता/आयातकर्ता/ब्रांड स्वामी की है। इसके लिए कुछ मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं।
- विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी द्वारा प्लास्टिक के पुनः उपयोग के लिए हर स्तर पर उपभोक्ता, निर्माता रिसाइक्लिंग के लिए प्रोत्साहित होंगे तथा प्लास्टिक अपशिष्ट से होने वाले पर्यावरण के नुकसान में कमी आएगी।

4.7 मुख्य शब्द

- कंपोस्टेबल प्लास्टिक** : वह प्लास्टिक जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा कार्बन. डाईऑक्साइड, जल, अकार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं।
- विस्तारित उत्पादक दायित्व/ जिम्मेदारी.** : उत्पाद के पूर्ण जीवन चक्र का दायित्व उत्पादक का होगा। यह पूरी प्रक्रिया को पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए कदम है।
- पुनःचक्रीकरण** : नए उत्पाद उत्पादित करने के लिए पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को नए उत्पाद या कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग लेने की प्रक्रिया।
- शहरी स्थानीय निकाय** : नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद जैसे विभिन्न विभाग शहरी स्थानीय निकाय में आते हैं।
- अपशिष्ट प्रबंधन** : वह प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित प्लास्टिक अपशिष्ट का एकत्रण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, पुनः उपयोग, पुनः प्राप्ति, पुनः चक्रण, कंपोस्टिंग या निस्तारण होता है।

4.8 संदर्भ पुस्तकें

Agarwal, R., Chaudhary, M., & Singh, J. (2015). Waste management initiatives in India for human well being. *European Scientific Journal*. Pp. 105.127.

Consolidated Guidelines for Segregation, Collection and Disposal of Plastic Waste. 2017. Central Pollution Control Board.

Guidelines for the Disposal of Non-recyclable Fraction (Multi-layered) Plastic Waste. (2018). Central Pollution Control Board.

Overview of Plastic Waste Management. 2013. Central Pollution Control Board.

Plastic Waste Management (Amendment) Rules. 2018. MoEF&CC.

Plastic Waste Management Issues, Solutions and Case Studies. Swachh Bharat Mission (Urban). 2019. Ministry of Housing and Urban Affairs.

Plastic Waste Management Rules. 2016. MoEF&CC.

Ray, M., Rahaman, M. (2016). An overview of legal framework for waste management system in India with special allusion to SWM rules, 2016. *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies*. Vol 4, No.1,13.19.

Vilas, M. A. (2015). A critical overview of legal profile on solid waste management in India. *International Journal of Research in Chemistry and environment*, 5(1), 1.16.

4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्या संस्थागत संरचना है और उनके क्या मुख्य कार्य हैं?

भारत पहला राष्ट्र है जिसमें पर्यावरण संरक्षण को अपने संविधान में स्थान दिया। भारत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वोच्च इकाई है। यह समय-समय पर संबंधित अधिनियम, नियम, नीतियाँ, विनियम आदि जारी करती है। इन सबकी एक सुचारु रूप से पालना हेतु केन्द्र एवं राज्य स्तर पर केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए हैं। यह सभी प्रक्रियाओं को सुचारु रूप से चलाने और वांछित परिणाम हेतु दिशा-निर्देशों का भी रचना करते हैं। इनसे नीचे शहरी स्थानीय निकाय होते हैं जो इन नियमों की अवपालना कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन करते हैं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देते हैं।

2. पीडब्ल्यूएम नियम (2018) की 3 मुख्य विशेषताएँ बताइए।

पीडब्ल्यूएम नियम (2018) की 3 मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं :

1. नवीन या पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से अधिक होनी चाहिए।
2. पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक का उपयोग भोजन एवं खाद्य पदार्थों को पैक एवं संरक्षित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
3. गैर-पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक को ऊर्जा उत्पन्न, ईंधन और सड़क निर्माण के कार्य में लें।

3. विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी/दायित्व क्या है? इसके किसी भी एक मॉडल को समझाइए।

प्लास्टिक के पूरे जीवनकाल (उत्पादन से अंत) को पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए सारी जिम्मेदारी उत्पादक को सौंपी गई है। इस प्रक्रिया में प्लास्टिक के पुनः

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

उपयोग एवं पुनःचक्रण पर बल दिया गया है और उपभोक्ता, विक्रेता, उत्पादक और स्थानीय शहरी निकायों को शामिल किया गया है। इसे निम्नलिखित उदाहरण/मॉडल से समझा जा सकता है।

“प्लास्टिक क्रेडिट” : उत्पादकों को उनके द्वारा उत्पादित प्लास्टिक पदार्थों के एवज में प्लास्टिक अपशिष्ट का स्वयं या किसी पंजीकृत एजेंसी द्वारा पुनःचक्रण करना होगा। इसके द्वारा उत्पादक को “प्लास्टिक क्रेडिट” जारी किए जाएंगे। यह क्रेडिट निर्माता वित्तीय लेन-देन के लिए प्रयोग कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करना होगा कि सही मात्रा में अपशिष्ट का पुनर्नवीनीकरण हुआ है और जिससे पर्यावरण के संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा।



ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY